प्रेस विज्ञप्ति

21.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिनांकः19.03.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध दर्ज मल्टीलेवल मार्केटिंग स्कीम मामले में रुपये 84.24 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में प्रमोटरों भाऊसाहेब छब्बू चव्हाण, श्रीमती आरती भाऊसाहेब चव्हाण और अन्य द्वारा अर्जित बेनामी संपत्तियाँ, डीमैट खाते, डाकघर बचत, चाँदी और हीरे के आभूषण/सराफा और बैंक खाता शेष (बैंक बैलेंस) सहित चल और अचल संपत्तियाँ शामिल हैं।

ईडी ने मेसर्स केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटरों, भाऊसाहेब छबू चव्हाण और आरती भाऊसाहेब चव्हाण के खिलाफ भा.दं.सं. (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत परबनी, नासिक और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में दर्ज कई प्राथमिकियों (एफआईआर) के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला कि चव्हाण परिवार ने सह-आरोपी कंपनी के प्रमुख एजेंटों के साथ मिलकर मेसर्स केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स केबीसी क्लब एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट के तत्वावधान में संचालित एमएलएम (मल्टीलेवल मार्केटिंग) योजना के माध्यम से लोगों को लुभाने की साजिश रची थी। लिमिटेड ने जनता को उनके निवेश पर आकर्षक रिफंड का वादा किया और उनसे 200 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। बाइनरी और मैट्रिक्स कमीशन, अवार्ड, उपहार और उत्पाद पुरस्कार देने का वादा करके मेसर्स केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स केबीसी क्लब एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रचारित विभिन्न पैकेजों/योजनाओं के तहत शुल्क के भुगतान पर जनता को सदस्य के रूप में सदस्यता दी गई थी। कमीशन प्राप्त करने हेतु यह बाध्यता थी कि सभी सदस्य और अधिक सदस्यों को नामांकित करें, क्योंकि एकत्र की गई सदस्यता राशि का एक हिस्सा पिरामिड के शीर्ष पर सदस्यों के बीच वितरित किया जाता था। सदस्यों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और इस प्रकार के कमीशन का लालच दिया गया जबकि, कंपनी की कोई वास्तविक अंतर्निहित व्यावसायिक गतिविधि थी ही नहीं।

इससे पहले, ईडी ने प्रबानी जिला जेल में मुख्य आरोपी के बयान दर्ज किए थे, जिससे पता चला कि मेसर्स केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक/प्रमोटर भाऊसाहेब छब्बू चव्हाण और आरती भाऊसाहेब चव्हाण और अन्य सह-आरोपियों ने जनता से एकत्र किए गए सदस्यता शुल्क का इस्तेमाल अचल संपत्ति खरीदने, सोने के आभूषण लेने, शेयरों में निवेश आदि के लिए किया। ईडी ने दिनांकः 08.03.2024 और 11.03.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत नासिक और ठाणे (महाराष्ट्र) में 11 कार्यालयी और आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान भी चलाया था और अभियुक्तों की विभिन्न चल संपत्तियों को नियंत्रण में लिया गया।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।